# उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 56 /ऋण सेल/ऋणनीति/2020–21 दिनांक– 18-3-2021

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– कृषि कार्य हेतु रू0 1.00 लाख तक ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–55/ऋण सेल/ऋण नीति/2020–21 दिनांक 15.03.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अधोलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से आय सृजित करने एवं रोजगारपरक योजनाओं में ऋण वितरण किया जा रहा है तथा बैंक मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

बैंक के ज्ञाप संख्या 55121/ऋण सेल/20–21 दिनांक 02.02.2021 द्वारा बैंक व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन, व्यवसाय में वृद्वि एवं ऋण वितरण प्रकिया को सुदृढ़/सरलीकरण किये जाने के दृष्टिगत प्र0 कार्या0 में दिनांक 05.02.2021 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ऋण वितरण को प्रभावी गति देने के उद्देश्य से कृषि कार्य हेतु रू0 1.00 लाख तक की सीमा का ऋण वितरण किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया तथा बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 09.02.2021 एवं सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 06.03.2021 में अधिकतम रू0 1.00 लाख की सीमा तक कृषि कार्य से सम्बन्धित गतिविधियों/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु दीर्घकालीन ऋण, शपथ पत्र प्राप्त करते हुए ऋण वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अन्य बैंको की भांति बैंक द्वारा भी आवेदक की इच्छानुसार कृषि कार्य हेतु रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) तक का ऋण, कृषि योग्य भूमि अथवा अचल सम्पत्ति जैसे भवन/भूखण्ड को बंधक रखकर दिया जायेगा तथा वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित लाभार्थी से उक्त प्रयोजन हेतु ऋण उपभोग करने का शपथ पत्र लेकर ही ऋण वितरण किया जायेगा। बन्धकग्रस्त ऋण हेतु कृषि योग्य भूमि, अचल सम्पत्ति जैसे भवन/भूखण्ड का मूल्याकंन ऋण राशि के दोगुने या उससे अधिक मूल्य की होनी चाहिये। इस योजना में कृषक को 05 वर्ष के लिए ऋण वितरण किया जायेगा तथा ऋणों पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याजदर 11.50 प्रतिशत पर ऋण वितरण किया जायेगा तथा इसकी किश्ते 01 अप्रैल व 01 अक्टूबर को देय छमाही लगायी जायेगी।

ऋणी सदस्यों के खाते में मूलधन की किश्तों की संख्या के अनुसार बराबर–बराबर बॉटा जायेगा व ब्याज घटते हुये मूलधन पर लगाया जायेगा तथा इस प्रकार निर्धारित किश्तों के माध्यम से ऋणों की वसूली की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना मे बैंक द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः पालन करते हुए समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए कृषकों को गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः–शपथ पत्र प्रारूप।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0/प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।
3. निजी सचिव(सभापति)उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप:: (10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर) बैंक परिपत्र सं0–सी–56 / ऋण सेल / ऋण नीति / 2020–21 दिनांक–18.03.2021 के कम में

:शपथ पत्र:

समक्ष–शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा......................जनपद.......................... ।

मैं.........................................पुत्र / पुत्री / पत्नी ........................................ आयु..........
निवासी................................................... शपथ पूर्वक निम्न लिखित बयान करता / करती हूँ।

1. यह कि शपथी उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 शाखा.................................. जनपद...................... से कृषि कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु रू0 ............. (शब्दों में .........................रू0 मात्र) का दीर्घकालीन ऋण 11.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा / रही है।
2. यह कि शपथी उक्त ऋण की प्रतिभूति के रूप में अपनी कृषि योग्य भूमि / अचल सम्पत्ति को बैंक पक्ष में बन्धक कर रहा / रही है।
3. यह कि शपथी द्वारा उक्त दीर्घकालीन ऋण का उपभोग कृषि कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जायेगा।
4. यह कि शपथी एवं उसके उत्तराधिकारी द्वारा लिए गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

शपथी

:: सत्यापन ::

सत्यापित किया जाता है कि शपथ पत्र के प्रस्तर 01 से 04 तक में किया गया कथन मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही असत्य कथन किया गया है।

इस शपथ पत्र पर आज दिनांक.............................. को ............................... में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया है।

दिनांक–

स्थान–

शपथी